(23)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2693–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 21–08–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण कमांक अपील 08/अ–74/2013–14

देवेन्द्र सिंह पुत्र पंचमसिंह
निवासी किशोरगंज, मौहल्ला
जिला पन्ना म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

जुगराजसिंह पुत्र श्री रोशनसिंह,
निवासी ग्राम मजगॉव, तहसील अजगढ़,
जिला टीकमगढ़ म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0पी0शिवहरे, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–08–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष एक आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम मोहना तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1480/1 रकबा 0.64 हेक्टर अनावेदक एवं खसरा नम्बर 1480/2 रकबा 0.64 हेक्टर व खसरा नम्बर 1480/3 बलराजसिंह एवं बुद्धसिंह के नाम भूमि खाते में दर्ज है । आराजी खसरा नम्बर 1473 एवं 1481 का नक्शे में खसरा नम्बर 1480/1 व 1480/2 कर देने के पश्चात् खसरा नम्बर 1480/1 व 1480/2 खसरा नम्बर को कहीं नहीं बैठाया गया और ना ही संधारित किया है । वर्तमान नक्शे में त्रुटि हुई है जिसे

दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का विधिवत् जबाव आवेदक की ओर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । उपरोक्त भूमि के संबंध में उभयपक्षों के मध्य राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में प्रकरण चल चुके हैं । उपरोक्त भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ द्वारा प्रकरण कमांक 60/अ–6/1995–96 पारित आदेश दिनांक 30–6–1997 से सभी बिन्दुओं का निराकरण हो चुका है । इस आदेश को प्रश्नागत करते हुये संभागीय आयुक्त न्यायालय के समक्ष अनावेदक की ओर से अपील प्रस्तुत की गई जो पारित आदेश दिनांक 29–12–2000 से खारिज हो चुकी है । अब पुनः 14 वर्षो बाद अनावेदक द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष तरमीम बावत् प्रस्तुत किया है जिस पर आवेदक ने आपत्ति की । आवेदक की उक्त आपत्ति पर विधिवत विचार किये बिना ही अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–2014 से सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख पन्ना से उभयपक्षों की उपस्थिति में अभिलेखों का परीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन मॅगाये जाने का आदेश पारित किया है । अपर कलेक्टर जिला पन्ना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–2014 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह पुनरीक्षण आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि उपरोक्त भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–97 से सभी बिन्दुओं का निराकरण हो चुका है । इस आदेश को प्रश्नागत करते हुये आयुक्त न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील पारित आदेश दिनांक 29–12–2000 से खारिज हो चुकी है अब पुनः 14 वर्षो बाद अनावेदक द्वारा उन्हीं बिन्दुओं को अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष प्रश्नागत तरमीम बावत् प्रस्तुत किया है जो किसी भी स्थिति में प्रचलन योग्य नहीं है । तर्क में यह भी बताया कि विवादित भूमि के संबंध में राजस्व न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों के समक्ष प्रकरण चल चूके हैं ऐसी स्थिति में उनके द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । इस तथ्य पर विचार किये बिना जो कार्यवाही अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा की जा रही है वह उचित नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही प्रारम्भ की गई है उसमें आवेदक की ओर से यह आपत्ति ली गई थी कि आयुक्त

न्यायालय सागर संभाग सागर द्वारा उपरोक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 30–6–1997 तरमीम बावत् पारित कर दिया गया है जिसमें अनावेदक की अपील खारिज हुई है यह आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश को नजरअंदाज कर प्रकरण में कोई नवीन कार्यवाही नहीं की जा सकती है । अधीनस्थ अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा आवेदक को सूचना व सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिये बिना जो कार्यवाही की जा रही है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–2014 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में बताया कि अनावेदक ने कलेक्टर जिला पन्ना के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 107 का ग्राम मोहाना तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना में स्थित कृषि आराजी नम्बर 1480/1 रकबा 0.64 हेक्टर जुगराजसिंह एवं खसरा नम्बर 1480/2 रकबा 0.64 हेक्टर व ख्सरा नम्बर 1480/3 रकबा 0.64 हेक्टर बलराजसिंह व बुद्धसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मौके से काबिज व मालिक है एवं उक्त आराजी अनावेदकगण की पुस्तैनी कब्जे व स्वत्व की आराजी है जिसमें अनावेदक के पिता जब तक जीवित रहे खेती करते रहे, उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान अनावेदकव उसके भाई मौके से जोत बोकर आम जानकारी में कृषि कार्य करते चले आ रहे हैं । तर्क में यह भी बताया कि अनावेदक से लगी आवेदक की आराजी नम्बर 1473 रकबा 2.94 हेक्टर एवं आराजी नम्बर 1481 रकबा 2.85 हेक्टर स्थित ग्राम मोहाना जो पूर्व में परमा तनय मैकुआ चमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी उसके विकय के बाद साधूराम बल्द बाबादीन के नाम दर्ज हुई तथा साधूराम के विकय के बाद जागेश्वर बल्द गुलाव सिंह के नाम दर्ज हुई । जागेश्वर ने श्रीमती मीना कश्यप व शांति कश्यप को विकय कर दी उसके बाद से श्रीमती मीना एवं शांति कश्यप ने देवेन्द्र सिंह वल्द पंचमसिंह को विकय कर दी जिसके नाम पर वर्तमान में उक्त आराजी दर्ज है परन्तु मौके पर किसी के द्वारा कोई कृषि कार्य नहीं किया गया है । वर्ष 1985–86 में हुये बंदोबस्त के दौरान अनावेदक का नया आराजी नम्बर 1480 जिसमें अनावेदक के भाईयों के बटवारे के बाद बंटा नम्बर कायम किये गये तथा आवेदक की आराजी नम्बर 1473 एवं 1481 बनाये गये जो अनावेदक की आराजी से लगी आराजी है । पूर्व खातेदार के आवेदन पर आराजी

नम्बर 1473 व 1481 अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ के यहॉ से नक्शा संशोधन हेतु आदेश पारित किया गया जो अनावेदक व उसके भाई की आराजी नम्बर 1480/1 व 1480/2 को प्रभावित कर बनाया गया है और आराजी नम्बर 1473 व 1481 के रकबे को नक्शे में पूर्व की जगह को छोड़ दिया गया है और 1480/1 व 1480/2 को कहीं नहीं बैठाया गया है जिससे 1480/1 व 1480/2 के नक्शे में सुधार किया जाना न्यायहित में आवश्यक होगा । नक्शा संशोधन का अधिकार केवल कलेक्टर को है, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं । तर्क में यह भी आधार लिया कि अधीनस्थ न्यायालय को अब यह देखना था कि अनावेदक की आराजी नम्बर 1480/1 व 1480/2 को प्रभावित कर 1473 व 1481 का नक्शा तैयार किया गया है तब अनावेदक की आराजी नम्बर 1480/1 व 1480/2 को नक्शे में कहीं स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये या कहीं उसे बैठाया जाना चाहिये इसलिये तहसीलदार अजयगढ से जॉच प्रतिवेदन मंगाया गया जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–7–2014 को प्रतिवेदन अधीनस्थ न्यायालय को भेजा गया जिसमें तहसीलदार अजयगढ द्वारा अपने प्रतिवेदन में पुराना आराजी नम्बर 986/2 एवं 986/5 से नवीन खसरा नम्बर 1463 व 1481 का निर्माण होना लेख किया गया जबकि आराजी नम्बर 1473 का अनावेदक व आवेदक के प्रकरण में कोई उल्लेख ही नहीं है तथा पूर्व में इस आराजी को गुलाब सिंह बल्द जागेश्वर के नाम होना लेख किया गया है जबकि उक्त व्यक्ति के नाम पर यह आराजी कभी नहीं रही है तथा आराजी के बराबर विक्रय का उल्लेख भी किया है । पूर्व में उक्त आराजी पर जागेश्वर का कब्जा लेख है और वर्तमान में 0.55 हेक्टर पर अनावेदक का कब्जा होना बताया गया है जबकि पूर्व में उक्त विवादित आराजियों का कई बार सीमांकन किया गया है जिसमें हमेशा अनावेदक का ही कब्जा पाया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा जिन बिन्दुओं पर तहसीलदार से जॉच प्रतिवेदन मागा गया था उसकी कोई जॉच नहीं की गई और न ही अपने पूर्व जॉच प्रतिवेदन में अनावेदक की आराजी नम्बर 1480 का कोई उल्लेख किया गया । इस नम्बर की नक्शे में क्या स्थिति होगी स्पष्ट नहीं की है जिससे अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक ने तहसीलदार के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 15–7–14 में आपत्ति प्रस्तुत की । उक्त आपत्ति पर आराजी नम्बर 1480 का रकबे के अनुसार नक्शे में उल्लेख होना चाहिये या नहीं हेतु पुनः जॉच प्रतिवेदन मंगाया । जिसका वर्तमान आवेदक ने विरोध किया कि उक्त आराजियों से संबंधित कई प्रकरण चल चुके हैं।

जॉच प्रतिवेदन के बिन्दुओं का कोई हवाला नहीं दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष को जॉच प्रतिवेदन में सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये तहसीलदार के जॉच प्रतिवेदन का विधिवत् अवलोकन किया । न्यायहित में अनावेदक की आपत्ति स्वीकार कर सहायक भू–अभिलेख पन्ना से उभयपक्षों की उपस्थित में मौके की स्थिति एवं अभिलेखों का परीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन मंगाये जाने का आदेश पारित किया गया । यह भी तर्क दिया कि अनावेदक ने अपने कब्जे व स्वत्व की आराजी नम्बर 1480/1 के नक्शे में हुई त्रुटि के संशोधन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है जिसे सुनने का अधिकार कलेक्टर को है । जहॉ तक आवेदक एवं अनावेदक के कई प्रकरण चलने का प्रश्न है उसमें उभयपक्ष के मध्य अधीनस्थ न्यायालय में आज तक कोई प्रकरण नहीं चले हैं । पूर्व में अनाधिकृत रूप से अनुविभागीय अधिकारी बगैर अधिकारिता के अपने राजनैतिक प्रभाव व दबाव में नक्शे में लालस्याही अनावेदक की आराजी को हडपने की नियत से डलवा ली गई आवेदक अनावेदक को विभिन्न प्रकार से उलझाये रखना चाहते हैं । अंत में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–8–14 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अनावेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष खसरा नम्बर 1480/1, 1480/2, 1480/3 की भूमियों के संबंध में नक्शा सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर अपर कलेक्टर द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इसी कार्यवाही से पीड़ित होकर आवेदक ने यह निगरानी पेश की है । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने प्रश्नाधीन आराजी जागेश्वरसिंह से कय की है । आवेदक द्वारा तर्क दिया गया कि उक्त आराजियों के मध्य नक्शे सुधार का विवाद पूर्व में अनावेदक तथा जागेश्वर के मध्य चल चुका है जिसका निराकरण जागेश्वर के पक्ष में हुआ था तथा अपर कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष उक्त तथ्य बताये जाने पर भी उसे संज्ञान में नहीं लिया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में राजस्व प्रकरण कमांक 60/अ–6–अ/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 30–6–1997 द्वारा जागेश्वर सिंह विरूद्ध जुगराजसिंह/बलरामसिंह के मध्य इन्हीं आराजी के नक्शे के विवाद का निराकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया

जा चुका है जिसकी अपील भी आयुक्त ने प्रकरण कमांक 44/अ–6/1997–98 में आदेश दिनांक 29–12–2000 द्वारा खारिज की है । उक्त न्यायिक प्रकिया को कही और चुनौती दिये जाने का कोई प्रकरण अनावेदक ने पेश नहीं किया । स्पष्ट है कि एक बार इस विषय पर न्यायिक विचारण अंतिम हो जाने पर अनावेदक द्वारा दोबारा उसी विषय को अपर कलेक्टर के समक्ष पुनः उठाया है जिसको उक्त तथ्यों के प्रकाश में आने पर अपर कलेक्टर को खारिज करना था लेकिन ऐसा न करते हुये अपर कलेक्टर ने तहसीलदार के समक्ष लंबित धारा 250 की कार्यवाही को ही स्थगित कर दिया जिसको उनके समक्ष चुनौती भी नहीं दी गई थी ।

6/ उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के समक्ष अनावेदक का आवेदन Estoppel तथा Res-judicata के सिद्धांत की परिधि में आता है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर की लंबित कार्यवाही विधि विपरीत होने से निरस्त की जाती है तथा यह निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर